



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पद./एपीओ/2018/पार्ट-4/31

जयपुर दिनांक 6-1-2020

**—:आदेश :—**

राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार एक ही पंचायत समिति में गत 4 वर्ष में 3 वर्ष तक कार्यरत रहने के कारण निम्नलिखित विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है:-

क.स.	नाम अधिकारी	कहां से (पंचायत समिति)
1.	श्री के. के. जैमन	कामां (भरतपुर)
2.	श्रीमती शशिबाला	खेतडी (झुन्झुनू)
3.	श्री जितेन्द्र सिंह राजावत	भीण्डर (उदयपुर)

उक्त अधिकारी अविलम्ब प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
7. जिला कलक्टर, संबंधित।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
9. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)